मद 4(1)(ख)(iii)

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यमों (चैनलों) सहित निर्णयन प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया

निर्णयन प्रक्रिया और मुख्य निर्णयन बिंदुओं की पहचान :

कंपनी का समग्र प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल में निहित है। निदेशक मंडल कंपनी के भीतर सर्वोच्च निर्णयन संस्था है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में 1956) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आम बैठक में कुछ मामलों में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

निदेशक मंडल, जो कंपनी का अंतिम प्राधिकारी है, कंपनी के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSE) होने के नाते कंपनी का निदेशक मंडल भी भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है।

कंपनी का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन अध्यक्ष और कार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के अन्य अधिकारियों के पास है। निदेशक मंडल ने शक्तियों के प्रत्यायोजन के माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशकों और कार्यपालकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशक और अन्य अधिकारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अपनी निर्णयन शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

अंतिम निर्णयन प्राधिकारी :-

शक्तियों का प्रत्यायोजन दस्तावेज़ व्यापक रूप से ऊपर से नीचे की ओर जाता है जिसमें निदेशक मंडल निर्णय लेने का सर्वोच्च निकाय होने के नाते कारोबारी निर्णयों का निपटान करता है तथा इसी के साथ ही पर्याप्त एवं शीघ्र निर्णयन के लिए ये शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक और इससे नीचे के कार्मिकों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि

निम्नलिखित मैनुअल, नियम और विनियम, निदेश, रिकॉर्ड आदि कॉर्पोरेशन द्वारा मुख्य रूप से धारित किए जाते हैं और कार्मिकों द्वारा अपने विभिन्न कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते समय इनका अनुपालन किया जाता है।

क) संस्था के अंतर्नियम और संगम ज्ञापन

ख) व्यवसाय और कार्य करने के लिए तैयार मैनुअल

- मानव संसाधन मैनुअल
- प्रोक्योरमेंट मैनुअल
- सतर्कता मैनुअल
- संसाधन जुटाव मैनुअल (डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल)
- सर्विसिंग मैनुअल (डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल)

- निवेश मैनुअल
- जोखिम प्रबंधन नीति आदि

ग) समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे एससी / एसटी / ओबीसी / दिव्यांगों आदि के लिए उपलब्ध आरक्षण और रियायतें और साथ ही वेतन संशोधन और नीतियों आदि के संदर्भ में भी समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के विभिन्न निदेश।

घ) प्रचालनात्मक नीति संबंधी वक्तव्य (कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित), अनुदान एवं रियायती या ब्याज मुक्त ऋण आदि पर नीतियां, मानक ऋण दस्तावेज, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार आदि की शर्तें।

ड) पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), एकीकृत विद्युत विकास कार्यक्रम (आईपीडीएस) जैसे विषयों पर भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देश, विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार सहमति ज्ञापन, अन्य संगठनों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों आदि के साथ किए गए एमओयू

च) लागू विधियों/ नियमों के आवश्यक प्रावधान जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में 1956), आयकर अधिनियम, 1961, सेबी दिशानिर्देश और अन्य संबंधित अधिनियम

छ) कार्मिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपलब्ध सेवा शर्तों, हितलाभों आदि मे मामले में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देश। कर प्रवर्तन प्राधिकरणों जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा, वित्त मंत्रालय आदि द्वारा जारी अनुदेश, दिशानिर्देश, परिपत्र।

ज) निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) की योजना।

झ) कारोबार आदि के निपटान के मामले में कॉर्पोरेशन द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र, अनुदेश।

निर्णय (यदि कोई हो) लेने हेतु समय सीमा:- समय अनुसूची पीएफ़सी के नागरिक चार्टर में वर्णित है जो नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है :

नागरिक चार्टर

कॉर्पोरेशन का पर्यवेक्षण और जवाबदेही का माध्यम (चैनल) निदेशक मंडल द्वारा यथानुमोदित शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) द्वारा प्रशासित होता है।